# भारत में भुगतान प्रणालियाँ: हाल की कुछ प्रवृत्तियों और भावी चुनौतियों पर चिंतन*

हारुन आर. खान

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से मैं सभी विशिष्ट सहभागियों का भारत में पुणे नगरी में और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय- जो प्रौद्योगिकी नीत व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर बल सहित सामान्य बैंकिंग के साथ ग्रामीण और सहकारी वित्तीय क्षेत्र विकास पर फोकस से युक्त भारतीय रिज़र्व बैंक का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है- में सहर्ष स्वागत करता हूँ। यह भी मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) में आईएसओ 20022 के अंगीकरण पर इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।

2. हम सब संचार में भाषा के महत्व को जानते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम अथवा उपकरण है जो भेजनेवाले से पानेवाले तक सूचना को वहन करती है तथा संप्रेषण की प्रभावशीलता भाषा की प्रभावशीलता पर निर्भर है। प्रायः उद्धृत किया जानेवाला उदाहरण 'हैग हिम नाट लीव हिम', जहाँ एक अल्पविराम को रखने में मामूली-सा परिवर्तन जीवन और मृत्यु के बीच निर्णय कर सकता है, प्रभावात्मक रूप से प्रभावी संप्रेषण के महत्व को दर्शाता है। हमारे सामाजिक जीवन में भी वह इतना ही महत्वपूर्ण है। भाषा वित्तीय लेनदेनों में भी बहुत ही निर्णायक है जहाँ छोटी लगनेवाली चूक से भी भारी निहितार्थ निकल सकते हैं। एक सुदृढ़ वित्तीय संदेश प्रणाली की अधिकाधिक आवश्यकता है जो भुगतान प्रणालियों में संचार की एक सामान्य भाषा के रूप में काम आ सकती है तथा मुझे विश्वास है कि आईएसओ 20022 जो इस सेमिनार का केंद्रबिंदु है, संरचित फार्मेटों (वाक्यविज्ञान) और अर्थों (अर्थविज्ञान) में सामान्य रूप से समझे जानेवाले संदेश माध्यम के द्वारा एक निरापद और सुरक्षित भुगतान प्रणाली का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा।

3. जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने अगले जेन. आरटीजीएस में आईएसओ 20022 के अंगीकरण और कार्यान्वयन के उन्नत स्तर पर है। हमने इस मानक को इसलिए अपनाया है क्योंकि यह एक तकनीकी समाधान एक्सटिन्सिबिल मार्कअप लैंग्वेज (एक्सएमएल) पर आधारित है, जो कुछ नियमों के अनुसार दस्तावेज का निर्माण करता है तथा उसे दोनों कंप्यूटर और अंतिम उपयोगकर्ता के लिए सुवाच्य बना देता है। एक्सएमएल एक निश्चित परिभाषा का उपयोग नहीं करता जो एक महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि यह आईएसओ 20022 के लिए नई प्रगति को समर्थन देने के लिए भविष्य में विस्तार अथवा परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। एक प्रणाली की दृष्टि से एक्सएमएल संदेश वास्तव में अन्य फार्मेटों की तुलना में कार्य करने के लिए अधिक आसान हैं। अधिकांश समकालीन प्रणालियों के लिए डेटा को एक्सपोर्ट करते समय एक्सएमएल डिफ़ाल्ट फार्मेट है। अतः इस फार्मेट में फाइल बनाना अधिक आसान है। इसलिए हमारे आरटीजीएस के लिए यह एक स्वाभाविक विकल्प था।

4. मैं अतिविश्वासी हूँ कि यह सेमिनार विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों के बीच अनुभवों के विनिमय के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करेगा तथा हममें से प्रत्येक के लिए यह एक ज्ञानसंवर्धक अनुभव होगा। रिज़र्व बैंक संभवतः केन्द्रीय बैंकों में यदि प्रथम नहीं तो उन कुछ केन्द्रीय बैंकों में से एक है जिन्होंने आरटीजीएस के लिए आईएसओ 20022 संदेश मानकों का अंगीकरण किया है। यह रिज़र्व बैंक के अधिकारियों, बैंकों और देश में अन्य हितधारकों के परिश्रम के सफल संयोजन का परिणाम है।

## समाशोधन परिचालनों में प्रौद्योगिकी का अंगीकरण : अयांत्रिक से मेनफ्रेम तक

5. भारत ने विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण और उन्नयन में तेजी से लंबी डगें भरी हैं। दो दशक पहले हमारे बैंकिंग और भुगतान की प्रणालियाँ अयांत्रिक प्रक्रियाओं से संचालित होती थीं - जिला स्तर पर हमारे समाशोधन गृह रहे हैं जहाँ बैंकर मेजों पर बैठकर चेक समाशोधन परिचालन संचालित करते रहे हैं। कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और अन्य नवोन्मेष उपायों के आविर्भाव से जिसने प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया, समाशोधन के परिचालनों को कंप्यूटरीकृत किया गया है तथा माइकर

---

* श्री हारुन आर. खान, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 सितंबर 2013 को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में आयोजित आरटीजीएस में आईएसओ 20022 के अंगीकरण पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में दिया गया उद्घाटन भाषण। वक्ता भारतीय रिज़र्व बैंक की सुश्री नीलिमा रामटेके, श्रीमती निखिला कोडूरी और श्री. जयकुमार यारासी के सहयोग के लिए आभार मानते हैं।

आधारित समाशोधन, द्रुत समाशोधन आदि जैसे उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। एक और नवोन्मेष समाशोधन व्यवस्था हमारी ग्रिड आधारित चेक ट्रंकेशन परियोजना (सीटीएस) है जो हमारे तीन ग्रिड केन्द्रों अर्थात् नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नै में परिचालन के अधीन है। जैसा कि आप समझेंगे, उक्त ग्रिड आधारित सीटीएस समाशोधन परिचालन भारी मात्रा में प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं तथा उसमें हस्तचालित हस्तक्षेप की कम गुंजाइश है। इसके अलावा, चेकों की सुरक्षा संबंधी विशिष्टताओं में सदृशता लाने तथा सीटीएस समाशोधनों में धोखाधड़ियों की घटनाओं को कम करने के लिए नये चेक मानक - सीटीएस 2010 लागू किये गये हैं। वर्षों से कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों ने लोकप्रियता हासिल की है। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के प्रसंस्करण के तरीके में कई तरह से प्रगति रही है, जैसे ईसीएस (स्थानीय) से एनईसीएस (केन्द्रीकृत) में अंतरण। अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियाँ जिन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की है, वे हैं- एनईएफटी और आरटीजीएस।

## इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को प्रोत्साहन

6. रिज़र्व बैंक देश के लिए एक सुरक्षित, कुशल, पहुँच-योग्य, समावेशी, अंतर परिचालन योग्य और प्राधिकृत भुगतान और निपटान प्रणालियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमारी भुगतान प्रणालियाँ सुविधा की माँगों तथा उपयोग और पहुँच की सुलभता द्वारा संचालित हैं। इसके लिए एकीकृत समाधान निर्माण और प्रौद्यागिकी के माध्यम से नवोन्मेषण, क्षमताओं और विभिन्न प्रणालियों के समेकन के संबंध में उन्नयन द्वारा ई-भुगतान उत्पादों का अभिसरण आवश्यक हो जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान प्रणाली परिदृष्टि प्रलेख 2012-15 में एक कम नकदी / कम काग़ज वाले समाज, ''हरित'' पहल को बढ़ावा देने की दिशा में समग्र विनियामक नीतिगत रुख की अभिमुखता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जिसे रिज़र्व बैंक के आईटी परिदृष्टि प्रलेख 2011-17 में भी दुहराया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और सेवाओं के प्रयोग पर अधिकाधिक बल देता है जिन तक वहनीय कीमतों पर सभी के द्वारा कहीं भी और कभी भी पहुँचा जा सकता है।

7. इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की बढ़ती हुई प्रमात्राएँ ग्राहकों द्वारा सुविधा और विश्वास की स्वीकृति को प्रतिबिंबित करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चाहे व्यक्ति से व्यक्ति को (पी2पी) अथवा व्यक्ति से व्यवसाय को (पी2बी) किये जाते हों, सामान्यतः दो में से एक रूप ग्रहण करते हैं- इंटरनेट द्वारा किये जानेवाले ऑनलाइन भुगतान, तथा निकटता भुगतान जो कार्डों के उपयोग से सुसाध्य बनते हैं (कार्ड भुगतान)। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सरणियों का उपयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है तथा ये अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। ग्राहकों द्वारा इन सरणियों का उपयोग दोनों खाते संबंधी सूचना सेवाओं तथा भुगतान उपक्रम सेवाओं के लिए किया जाता है। कुछ बैंकों से संगृहीत आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारी संख्या में ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं तथा एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से निधि-अंतरण के लिए इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि रही है।

8. मार्च 2004 में लागू की गई आरटीजीएस प्रणाली अधिक मूल्य वाले भुगतानों के निपटान के लिए आधार-स्तंभ बन गई है। 2012-13 में आरटीजीएस ने 1,026 ट्रिलियन रुपये मूल्य के 68.52 मिलियन लेनदेनों को संचालित किया तथा मात्रा के तौर पर इसकी वृद्धि दर 24 प्रतिशत रही। रिज़र्व बैंक उन्नत चलनिधि प्रबंध कार्यों, भावी दिनांक की क्रियाशीलता, मापनीयता आदि से युक्त आईएसओ 20022 मानकों पर निर्मित अगली जेनरेशन आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। एनजी-आरटीजीएस के पास बैंकों के लिए उनकी चलनिधि स्थिति का प्रबंध करने के लिए अनेक कार्य हैं।

9. अंतर-बैंक निधि अंतरणों के लिए एनईएफटी प्रणाली की बढ़ती हुई लोकप्रियता और स्वीकृति इस प्रणाली द्वारा संचालित प्रमात्रा और मूल्य में प्रतिबिंबित हुई है, जो वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में 74 प्रतिशत (प्रमात्रा) और 62 प्रतिशत (मूल्य) बढ़ गई। एनईएफटी ने अगस्त 2013 के दौरान 47.61 मिलियन लेनदेनों की रिकार्ड प्रमात्रा संचालित की। इस स्थिति के होते हुए कि व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों की आवश्यकताएँ एकसमान ढंग से पूरी करते हुए एनईएफटी देश में एक अग्रणी विप्रेषण प्रणाली बन गई है, इस प्रणाली में अनेक कुशलता संवर्धन भी किये गये हैं। अतः एनईएफटी इस समय सप्ताह के दिनों में 12 बैचों और शनिवार के दिनों में छह बैचों का प्रसंस्करण कर रही है। जमा संदेश लगातार जारी करने की विशेषता लागू करने के साथ ही इन लेनदेनों का प्रसंस्करण करने के लिए सहभागियों को अतिरिक्त समय पटल दिया गया है।

10. इसी प्रकार मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत ग्राहकों में भी भारी वृद्धि रही है। मोबाइल भुगतान 2012-13 में मात्रा के तौर पर 53.30 मिलियन और मूल्य के तौर पर 59.90 बिलियन रुपये तक पहुँच गये हैं। वृद्धि की दर 2012-13 में मात्रा में 108 प्रतिशत और मूल्य में 229 प्रतिशत रही है। तथापि, भुगतान प्रणाली में मोबाइल भुगतानों का समग्र अंश नगण्य है। मोबाइल बैंकिंग द्वारा स्थिति में भारी परिवर्तन लाने की विपुल संभावना को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के संबंध में एक तकनीकी समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष श्री बी. सांबमूर्ति, निदेशक, आईडीआरबीटी हैं। यह समिति यूएसएसडी (असंरचित पूरक सेवा डेटा) सरणी के उपयोग सहित मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को बढ़ाने में बैंकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की जाँच-पड़ताल करेगी। उक्त समिति निधियों के अंतरण के लिए गोपित (एनक्रिप्टेड) एसएमएस आधारित ऐसे अनुप्रयोगों का उपयोग करने की सुसाध्यता सहित विभिन्न विकल्पों का परीक्षण करेगी जो देश में मोबाइल बैंकिंग के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के हैंडसेट पर चल सकेंगे।

11. इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा 2011-12 के 1.2 बिलियन से बढ़कर 2012-13 में 1.7 बिलियन हो गई जिससे 36 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का कुल मूल्य 2011-12 के 967.52 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 2012-13 में 1,212.37 ट्रिलियन रुपये हो गया है जिससे 25.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होती है। वर्ष 2012-13 में समग्र गैर-नकदी भुगतानों में 56.4 प्रतिशत पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का अंश कागज-आधारित भुगतान प्रणालियों से आगे निकल गया है। पिछले वर्ष (2011-12) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समग्र गैर-नकदी भुगतानों का 48.2 प्रतिशत रहे। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से भुगतानो की ई-पद्धतियों के लिए उपभोक्ताओं की स्वीकृति को दर्शाती है। फिर भी, दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के बढ़ते हुए महत्व और उपयोग ने जोखिमों और धोखाधड़ियों के खतरे के प्रति असुरक्षितता में वृद्धि की है।

## इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को सुरक्षित रखना

12. 2011 में सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंध और साइबर धोखाधड़ियों पर एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. गोपालकृष्ण) ने इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में अधिप्रमाणन पद्धतियाँ, मोबाइल फोन नंबरों में परिवर्तन, लाभार्थी प्रबंध संबंधी पहलू आदि शामिल हैं। इन सिफारिशों के आधार पर अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएँ देनेवाले बैंकों को अनुदेश जारी किये गये हैं। हाल की घटनाओं तथा साइबर आक्रमणों की अनुवर्ती अप्रत्याशितताओं और इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का दुरुपयोग करने की असुरक्षितता का संज्ञान लेते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिया है कि वे ऐसेआक्रमणों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ न्यूनतम जाँच और संतुलन लागू करें। बैंकों को यह भी अनुदेश दिया गया है कि वे लेनदेनों के मूल्य पर ग्राहक प्रेरित उच्चतम सीमाएँ, एक दिन में जोड़े जानेवाले लाभार्थियों की संख्या की सीमा, लाभार्थी के जोड़े जाने पर चेतावनी भेजना, लेनदेनों की संख्या पर वेग की जाँच, अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक प्रारंभ करना. आदि लागू करें। बैंकों को अनुदेश यह भी दिया गया है कि वे आरटीजीएस में बड़े मूल्य वाले भुगतानों के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करने तथा प्रमाणीकरण की एक अतिरिक्त जाँच की तरह आईपी पता ग्रहण करने की सुसाध्यता पर विचार करें। रिज़र्व बैंक ने सभी कार्ड प्रस्तुत न करनेवाले (सीएनपी) लेनदेनों के लिए अधिप्रमाणन का अतिरिक्त कारक अनिवार्य कर दिया है। 'कार्ड प्रस्तुत करनेवाले लेनदेनों को सुरक्षित रखने संबंधी कार्यदल' (अध्यक्ष : गौरी मुखर्जी) की सिफारिशों को एक समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के द्वारा कार्ड प्रस्तुत करनेवाले (सीपी) लेनदेनों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किये जा चुके हैं।

13. सभी हितधारकों के लिए यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए परिस्थिति को सुस्पष्ट करने के प्रति अधिदेशित सभी कार्य समय पर पूरे किये जाएँ। कार्ड प्रस्तुति लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए उपायों में से एक उपाय प्रौद्योगिकीगत मूलभूत संरचना को सुरक्षित रखने के लिए यूकेपीटी (विलक्षण कुंजी प्रति टर्मिनल) अथवा डीयूकेपीटी (व्युत्पन्न विलक्षण कुंजी प्रति लेनदेन) तथा टीएलई (टर्मिनल लाइन एनक्रिप्शन) का कार्यान्वयन है। जबकि अधिकांश बैंकों ने इन उपायों को कार्यान्वित किया है, शीघ्र ही 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने की संभावना है जिससे हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के लिए निरापद और सुरक्षित परिवेश के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

14. एक ओर जहाँ यह महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकीगत उपाय लागू किये जाएँ, वहीं दूसरी ओर यदि अधिक नहीं तो समान रूप से महत्वपूर्ण यह है कि इन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धतियों का उपयोग करनेवाले उपभोक्ताओं/ग्राहकों के बीच

जागरूकता का निर्माण किया जाए। रिज़र्व बैंक ने बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों की एक शृंखला - ई-बीएएटी (इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता प्रशिक्षण) प्रारंभ की है। इसके साथ ही, उपभोक्ता संरक्षण के संबंधित मुद्दों, शिकायत निवारण तंत्रों, तथा अनधिकृत/धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों के घटित होने पर उपेक्षा अथवा सह-अपराधिता की स्थिति में उपभोक्ता दायित्व के मुद्दों के प्रति गंभीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

## भारतीय भुगतान प्रणाली पारिस्थितिकी में चुनौतियाँ

15. भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की बुनियादी संरचना को अधिक कुशल और समेकित बनाने के लिए ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है; जिनमें से निर्णायक तो मानकीकरण, अंतरपरिचालनीयता और सामान्य बुनियादी संरचना के निर्माण के माध्यम से भुगतान प्रणालियों की निपुणता का निर्माण है।

16. भारत में प्रत्येक भुगतान प्रणाली के लिए विशिष्ट विभिन्न प्रकार के संदेश संबंधी समाधान और फार्मेट हैं। इसके परिणामस्वरूप, इन भुगतान प्रणालियों के साथ समेकन करने के लिए बैंकों/प्रणाली सहभागियों से अपेक्षित है कि वे अनुप्रयोग के लिए विशिष्ट एपीआई (अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस) विकसित करें। तथापि, वर्तमान प्रणाली में सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) अर्थात् एक भुगतान प्रणाली के विफल होने की स्थिति में दूसरी प्रणाली में अबाधित रूप में परिवर्तन को प्राप्त करने की चुनौती हो सकती है। इस संदर्भ में सामान्य संदेश फार्मेट और संदेश प्रेषण के समाधान का अंगीकरण, जो इस सम्मेलन की विषय-वस्तु है, सुवाह्यता और अंतरपरिचालनीयता को विकसित करने में अत्यंत महत्व ग्रहण करता है।

17. अंतरपरिचालनीयता और सामान्य बुनियादी संरचना के विकास का संवर्धन करने के लिए हमने कई कदम उठाये हैं। भारत में एटीएम राष्ट्रीय मूलभूत संरचना हैं और ये एटीएम नेटवर्कों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमने व्यावसायिक प्रतिनिधियों की अंतरपरिचालनीयता के लिए अनुमति दी है। अंतरपरिचालनीयता को सुसाध्य बनाने के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रयुक्त सूक्ष्म एटीएमों का मानकीकरण किया गया है। तथापि, आगे और विकास के लिए बहुत गुंजाइश है, जैसे बैंकेतर भुगतान प्रणालियों को अंतर-बैंक भुगतान नेटवर्कों के साथ संबद्ध करना आदि। हम गिरो भुगतान प्रणालियाँ प्रारंभ करने के लिए कार्यरत हैं जो बिल भुगतानों के लिए सामान्य मूलभूत संरचना का समेकन करेंगी।

18. हम मानकीकरण, सुवाह्यता और अंतरपरिचालनीयता का महत्व स्वीकार करते हैं जिनसे न केवल सभी प्रणालियों में भुगतान प्रसंस्करण के सामंजस्य के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि अनेक लाभ भी उपलब्ध होंगे। विभिन्न भुगतान प्रणालियों का अभिसरण भुगतानों को सही मायने में माध्यम के संबंध में अनभिज्ञ बना सकता है।

## समापन चिंतन

19. अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबके सामने कुछ मुद्दे चर्चा और विचार-विमर्श के लिए रखना चाहता हूँ :

- क्या आईएसओ 20022 संदेश मानकों का कार्यान्वयन जटिलताओं को कम करेगा और हमारी भुगतान संरचना का प्रबंध करने के लिए अपेक्षित अनुप्रयोग विकास समय को घटाएगा?
- क्या इस प्रकार के वैश्विक मानक का अंगीकरण हमें सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को सुधारने में भी समर्थ बनाएगा?
- क्या आईएसओ 20022 का पालन करने के लिए भुगतान संरचना का कोटि-उन्नयन अन्य व्यवसायों को भी कुशलताओं का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देगा?
- इसके अलावा, बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा) क्षेत्रों में वैश्विक आईएसओ 20022 संदेश मानकों का कार्यान्वयन अन्य क्षेत्रों में मानकीकरण, स्वचालन और अमूर्तीकरण को कैसे आगे बढ़ाएगा?

इन विचारों के साथ मैं आप सबको इस महत्वपूर्ण सेमिनार में उत्पादक विचार-विमर्श के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।